

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

गुण नं- 110 / 2023

तारीखरजू:- 26/7/23

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा फर्द अहकाम

दिनांक  
26/7/23

वादीगण की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 07.08.2023 को पेश हो।

3204-3235  
26/7/2023

(गौरव कुमार मित्तल)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

78 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी  
23 नं. 1 काग 4 की मांग से श्री सुरेश फंड शासित  
ने श्री को पेश किया। जो शासित फलदायी रहे। एवं  
प्रतिवादी नं 32 पेंशनर सरकार उपस्थित। एवं  
प्रतिवादी नं 6, 11, 14, 16, 20, 22, 24, 29, 30  
31 के नोटिस तामील स्कं व परिवारजनों से होने  
की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। एवं शेष प्रतिवादी नं 5, 7,  
8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26,  
27, 28, के नोटिस तामील विधित नही उप है।  
10 साखब स्थानान्तरण इधम है। वास्ते अग्रिम  
आदेश दिनांक 25.8.23 को पेश हो।

25-8-23 वादी वकील/कलक्टर तथा पक्ष उपस्थित

पीठासीन अधिकारी, (नाम फुल) कुनाव मीठा से पच्ची है।  
पत्रावली गतामूसर दिनांक 25.8.23 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

